राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला–सागर

प्र0 क्र0–निगरानी 1307 / I / 2015

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4 .06.2015	आवेदिका की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने बताया कि राजस्व निरीक्षक मण्डल परसोरिया तहसील सागर ने ग्राम मझगुवां पटवारी हलका नंबर 84 की भूमि सर्वे नंबर 390 / 12 रकबा 1.87 हैक्टर का सीमांकन दिनांक 7–5–14 को किया है जिसकी कोई सूचना मेढ़िया कास्तकारों को नहीं दी गई एंव एकपक्षीय सीमांकन के आधार पर राजस्व निरीक्षक ने अनावेदक को अनुचित लाभ पहुंचाते हुये आदेश दिनांक 7–5–14 पारित कर दिया। यह आदेश एकपक्षीय आदेश है जिसकी जानकारी आवेदक को तहसीलदार सागर व्दारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 2–5–15 की सूचना प्राप्त होने पर हुई, जिसके कारण निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किया जाय । उन्होंने राजस्व निरीक्षक का सीमांकन आदेश पक्षपातपूर्ण एंव एकपक्षीय होना बताते हुये निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की । 2/ आवेदिका के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक व्दारा ग्राम मझगुवां पटवारी हलका नंबर 84 की भूमि सर्वे नंबर 390 / 12 रकबा 1.87 हैक्टर के सीमांकन की मांग करने पर राजस्व निरीक्षक मण्डल परसोरिया ने आर्डरशीट दिनांक 2–5–14 से सीमांकन की सूचना जारी करने के आदेश दिये हुआ है तथा ग्रामवासियों को सूचना	

जारी किये जाने हेतु दिनांक 4–5–15 को सूचना पत्र जारी हुआ है कि उक्तांकित भूमि का सीमांकन दिनांक 6–5–14 को किया जावेगा । सीमांकन के समय मौके पर तैयार किये गये पंचनामे में इस प्रकार अंकन है –

'' पंचनामा लिख दिया हम ग्रामवासियों ने कि आज दिनांक 7–5–14 को रा0नि0 परसोरिया एंव हलका पटवारी व्दारा अधिक पिता गुलाव समैया की मौजा मझगुवा स्थित भूमि ख0नं0 390/12 रकबा 1.87 है0 का सीमांकन मौका पर खेतों के तिमेड़ा –चौमेड़ा से सीमांकन किया गया ''।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्रामवासियों को दिनांक 6–5–14 को सीमांकन किये जाने की सूचना दी गई, जबकि सीमांकन 7–5–14 को किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदिका के अभिभाषक व्दारा अवधि विधान की धारा–5 में दिया गया विवरण समाधान–कारक होने से निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा योग्य है।

3/ उपरोक्त पद में की गई विवेचना से पाया गया कि राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी व्दारा समस्त ग्रामीणों एंव मेढ़िया कास्तकारों को दिनांक 6–5–14 को सीमांकन किये जाने की सूचना देकर दिनांक 7–5–14 को सीमांकन किया गया है एंव दिनांक 7–5–14 को ही अंतिम आदेश पारित कर सीमांकन को अंतिमता प्रदान की गई है जिसके कारण मेढ़िया कास्तकारों को एंव ग्रामीणों को सीमांकन पर आपत्ति करने का अवसर नहीं दिया गया है । अतएव राजस्व निरीक्षक व्दारा की गई सीमांकन कार्यवाही एंव पारित आदेश दूषित होना पाये गये हैं एंव ऐसे आदेश पर से नायव तहसीलदार परसोरिया व्दारा आवेदिका के विरूद्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण कमांक 13 अ 70/14–15 पंजीबद्व कर बेदखली की कार्यवाही करना भी दूषित श्रेणी में होना मानी जावेगी।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक वृत्त परसोरिया व्दारा प्रकरण

क्रमांक 14 अ 12 / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 7–5–14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार परसोरिया को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उक्तांकित भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख से कराते हुये हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् कार्यवाही अमल में लावें।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

5 रु. Rs.5 भारत INDIA FIVE RUPEES
5 रु. भारत पाँच रुपये
5 रु. भारत पाँच रुपये
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष- श्रीमान सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प- सागर म0प्र0

= =

निगरानी 1307-I-15

श्रीमती साधना पुत्री के0 सी0 जैन पत्नि भीष्म जैन

निवासी- शांति रेसीडेंसी परिसर, जबलपुर रोड, मकरोनिया,

सागर, तहसील व जिला सागर म0प्र0 ......निगरानीकर्ता.

// बनाम //

अबिक समैया वल्द डॉ0 गुलाब समैया,

द्वारा- डॉ0 गुलाब समैया वल्द श्री जे0 डी0 समैया

निवासी- 314, कोतवाली रोड, सागर, तह0 व जि0 सागर म0प्र0

..... अनावेदक.

श्री .... स्वामी द्वारा आज दि. 3-6-15 को प्रस्तुत

निगरानी क्र0- ता0पेशी- .5.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी माननीय निम्न न्यायालय/राजस्व निरीक्षक, मण्डल परसोरिया, तहसील व जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र. 14ए/12 वर्ष 2013-14 में दिनांक- 7.5.2014 को पारित आदेश से दुखितहोकर प्रस्तुत की जा रही है :-

॥ प्रकरण के तथ्य ॥

1. यह कि, अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल परसोरिया के समक्ष उसके स्वामित्व की भूमि मौजा ग्राम महगुवां, प0ह0नं0-84, सर्किल परसोरिया, खसरा नं. 390/12 रकवा 1.80 हे0, तह0 व जि0 सागर में स्थित भूमि बताते हुए सीमाओं की जानकारी हेतु दि0-2.5.2014 को आवेदन दिया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा दि0-7.5.2014 को उक्त आलोच्य आदेश पारित किया।

2. यह कि, अधीनस्थ अधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने के उपरांत पंचनामा दि0-7.5.2014 बनाते हुए 0.50 हे0 पर रमेश कुमार मौर्य तथा 0.23 हे0 पर निगरानीकर्ता की फैक्ट्री, बाउंड्रीवाल पक्का

साधना जैन